संख्या 537/वि0अनु0-1/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल,

वित्तअनुभाग-1

देहरादून,दिनांक: 16 जुलाई,2004

विषय:- राज्य कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण/क्रय/ मरम्मत/विस्तार अग्रिम योजना को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश बी-3-6516/दस-88-100(9)-88, दिनांक 8.12.1988 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण की लागत में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. भवन निर्माण अग्रिम की राशि -

(1) भवन के निर्माण/क्रय के लिए गृह निर्माण अग्रिम की सीमा अब 50 मास का मूल वेतन या रू. 7,50,000/-, जो भी कम हो, होगी। इसकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 240 मासिक किश्तों में होगी।

(2) भवन मरम्मत /विस्तार के लिए अग्रिम की सीमा 50 माह का मूल वेतन या रू. 1,80,000/- ,जो भी कम हो, होगी। इसकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 120 मासिक किश्तों में होगी।

2. स्वीकृत भवन निर्माण /क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर धनराशि के अनुसार ब्याज की दरें निम्नवत् होगी-

(क) स्वीकृत अग्रिम	50,000 रूपये तक	6.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ख) स्वीकृत अग्रिम	1,50,000 रूपये तक	7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ग) स्वीकृत अग्रिम	2,50,000 रूपये तक	9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(घ) स्वीकृत अग्रिम	5,00,000 रूपये तक	9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(च) स्वीकृत अग्रिम	7,50,000 रूपये तक	10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

3. उक्त अग्रिम की अनुमन्यता 1-1-96 से लागू वेतनमान के अनुसार होगी।

4. ऋण अग्रिम के मूल एवं ब्याज की कटौती में व्यवधान की स्थिति में न काटी गयी किश्त/किश्तें एक मुश्त अगली किश्त के साथ काट ली जायेगी। इसके साथ ही ऋण अग्रिम लेने वाले कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह न जमा की गयी किश्तों की धनराशि एक मुश्त ट्रेजरी चालान के द्वारा कोषागार में जमा करेगे अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में प्रतिमाह के आधार पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।

5. जिन मामलों में पूर्व में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि आंशिक/पूर्ण रूप से अवमुक्त की जा चुकी है, उनमें उपर्यक्त उदारीकृत व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। ब्याज की दरों में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

6. उक्त के अतिरिक्त पूर्व शासनादेशों की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

7. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

8. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 भाग–1 में तदनुसार यथाआवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त।

संख्या 537 (1)/वि0अनु0–1/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
(3) रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,नैनीताल ।
(4) समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल
(5) एन0आई0सी0,देहरादून ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपरसचिव,वित्त